भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3178
दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

गौण खनिजों को प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल करना

3178. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने गौण खनिजों की सूची से बैराइट्स, क्वाड्र्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक आदि जैसे खनिजों को प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अधिसूचना के कारण राजस्थान में गौण खनिज उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को नुकसान होने की आशंका है;
(घ) क्या सरकार का उक्त निर्णय की समीक्षा करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो इसकी समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने दिनांक 20.02.2025 की अधिसूचना सं. सा.का. 924 (अ) के तहत बेराइट्स, क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक जैसे खनिजों को गौण खनिजों की सूची से हटा दिया है।

क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक धारित चट्टानें कई महत्वपूर्ण खनिजों जैसे बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटालम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन आदि के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा परिवर्तन, अंतरिक्ष यान उद्योग, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आदि में ये

खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खनिजों से जुड़े महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और निष्कर्षण को सुनिश्चित करने के लिए इन खनिजों को गौण खनिजों की सूची से हटा दिया गया है।

बैराइट का व्यापक रूप से उपयोग तेल और गैस ड्रिलिंग में ड्रिल मड में भारक एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका अन्य उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी स्क्रीन, रबर, कांच, सिरेमिक, पेंट, विकिरण परिरक्षण और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। बैराइट एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, मैंगनीज, चांदी और लौह अयस्क के अयस्कों के साथ पाया जाता है। किसी भी खनिज का खनन करते समय, उससे संबंधित खनिज के उत्पादन से बचा नहीं जा सकता।

(ग) से (ङ): इस मामले में, खान मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी बताया गया था कि बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज खनिजों के मौजूदा पट्टों की पट्टा अवधि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8क के अनुसार शासित होगी। इस प्रकार, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने के बाद दिए गए खनन पट्टों की पट्टा अवधि 50 वर्ष के लिए होगी।

इसके अलावा, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले दिए गए खनन पट्टों के मामले में, पट्टे की अवधि बढ़ाई जाएगी और 31 मार्च, 2020 (व्यावसायिक खानों के लिए) या 31 मार्च, 2030 (कैप्टिव खानों के लिए) को समाप्त होने वाली अवधि तक विस्तारित मानी जाएगी, जो अंतिम बार किए गए नवीकरण की अवधि की समाप्ति की तारीख से या नवीकरण अवधि के पूरा होने तक, यदि कोई हो, से प्रभावी होगी या ऐसे पट्टे के अनुदान की तारीख से 50 वर्ष की अवधि तक, जो भी बाद में हो, इस शर्त के अधीन है कि पट्टे की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 8क के प्रावधान के अनुसार पट्टा विस्तार के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकती है।

इसके अलावा, आईबीएम द्वारा खनन योजना अनुमोदित किए जाने तक, मौजूदा पट्टेधारकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मौजूदा खनन योजना के आधार पर उत्पादन और डिस्पैच जारी रखने की अनुमति दी गई है।

इस प्रकार, सरकार ने मौजूदा खनिकों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

*****